(31)

निशानी 2478-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

1– ओमप्रकाश पुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता निवासी – राजनगर, तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

2– रामनारायण पुत्र श्री रामसेवक गुप्ता निवासी – खजुराहो तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

3– ओमकार अग्निहोत्री पुत्र श्री दरबारी लाल निवासी– राजनगर, तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

2– राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामसेवक गुप्ता निवासी खजुराहो तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

3– श्रीमती नीलू अग्रवाल पत्नी सतीश अग्रवाल, निवासी – राजनगर, तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अपील/अ–89–9 /2004–05 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम खजुराहो मे स्थित भूमि 1871/1/2 रकवा 2.285 है0 भूमि का कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदकगण द्वारा नगर पंचायत खजुराहो में रजिस्ट्रीकरण हेतु 5000/– रूपये दिनांक 03.11.2009 को प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 03.01.2003 को अनविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रारूप 2 (नियम 3 (4) के अन्तर्गत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2478-एक/2015 जिला छतरपुर ओमप्रकाश विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक ओमप्रकाश की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 103/अपील/अ-89-9/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 22-02-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

20.12.18

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य